

अक्टूबर 2019



आपदा संवाद

15वां रस्थापना दिवस

अग्नि सुरक्षा



4



जर्मन प्रतिनिधिमंडल द्वारा एनडीएमए का दौरा

17 सितंबर, 2019 को एनडीएमए के अधिकारियों ने जर्मन से आए सात—सदस्य प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। यह दौरा 16–20 सितंबर, 2019 तक, सिविल सुरक्षा एवं संरक्षण पर केंद्रित उनका भारत दौरा का एक हिस्सा था।

बातचीत को मजबूत बनाने के लिए एनडीएमए ने आपदाओं पर वैशिक रुझान, भारत में डीआरआर के लिए संस्थागत तंत्र और प्राधिकरण के कार्य पद्धति की रूपरेखा पर एक प्रस्तुतिकरण दी। प्रस्तुतिकरण में जलवायु परिवर्तन के विशिष्ट प्रभाव, जिससे भारत में गर्मी संबंधित मृत्यु दर में घृद्धि होती है, तथा देश में गर्म लहर के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने की दिशा में क्रियान्वित किए जा रहे विभिन्न तैयारी उपाय भी शामिल थे। इसके बाद, संबंधित मामलों पर विस्तृत चर्चा की गई थी, जिसमें पूर्व-चेतावनी प्रणाली, सामान्य समय में चक्रवात आश्रय—केंद्रों का उपयोग, निजी क्षेत्र अवसंरचना और निर्माण नियम शामिल हैं। सर्वोत्तम अभ्यासों का विनियम और साझा करना जोखिम कम करने तथा संवेदनशील समुदायों को सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। बैठक में चर्चा से दोनों देशों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण की ओर उनके प्रयासों में परस्पर लाभांवित करेगा।

हिमनदीय खतरों एवं जोखिमों पर दिशानिर्देशों को तैयार करने के लिए बैठक

एनडीएमए ने 20 सितंबर, 2019 को “हिमनदीय खतरों एवं जोखिमों विशेषकर जीएलओएफ” के लिए दिशानिर्देशों को तैयार करने से संबंधित विशेषज्ञों के कार्य बल (टास्क फोर्स) की प्रथम बैठक आयोजित की।

जीएलओएफ से तात्पर्य जल संग्रह का अचानक निर्वाहन, जो या तो किसी हिमनदी के नीचे, सामने, के भीतर या ऊपर गठन किया है। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम, और अरुणाचल प्रदेश, हिमनदीय खतरों के सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र हैं।

डाटा के प्रकार, दिशानिर्देशों की तैयारी में विभिन्न हितधारकों की उत्तरदायी तथा डाटा की संग्रह और विनियम की सुविधा के लिए बहतरीन तरीके के बारे में चर्चा की गई। दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने की ओर संबंधी राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों से इनपुट एकत्रित करने के लिए दिशानिर्देशों का प्रथम मसौदा पर चर्चा किसी कार्यशाला में की जाएगी।



इससे पहले एनडीएमए ने विकास एवं सहकारिता के लिए स्विस एजेंसी (एसडीसी), भारत में स्विटजरलैंड का दूतावास के सहयोग से दिनांक 3–4 जुलाई, 2019 को हिमनदीय जोखिमों के मूल्यांकन और प्रबंधन पर एक दो-दिवसीय स्थापना—सह—विचार मंथन कार्यशाला का आयोजन किया गया।

नेपाली प्रतिनिधिमंडल द्वारा एनडीएमए का दौरा

24 सितंबर, 2019 को एक पांच—सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमंडल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों, संस्थागत व्यवस्थाओं और सर्वोत्तम अभ्यासों को साझा करने तथा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहकारिता के क्षेत्र में और अधिक खोज करने के उद्देश्य से एनडीएमए का दौरा किया गया। स्कूल और कॉलेजों में शैक्षणिक तथा जागरूकता कार्यक्रमों में और क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण और अभ्यासों के क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की गई।



**एनडीएमए ने मालदीव के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की;
डीआरआर पर चर्चा**

25 सितंबर, 2019 को एनडीएमए के अधिकारियों ने मालदीव से आए प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। दौरा, राष्ट्र सुशासन केंद्र, मसूरी द्वारा 16–28 सितंबर, 2019 को मालदीव के सिविल सेवकों के लिए आयोजित दूसरी प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक हिस्सा था।

कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशासन के क्षेत्र में अंतर्देशीय अनुभवों और सर्वोत्तम अभ्यासों को एकीकृत करना है। इसका नेतृत्व विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा करता है।

एनडीएमए ने आपदाओं के वैशिक रुझान, डीआरआर के लिए भारतीय संस्थागत तंत्र और प्राधिकरण की कार्यपद्धति पर प्रस्तुतिकरण दी। प्रस्तुतिकरण में राष्ट्रीय जोखिम प्रशासन परियोजना (एनसीआरएमपी), राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम (एनएसएसपी) तथा अन्य क्षमता निर्माण परियोजनाओं जैसे समुदाय की प्रभावी भागीदारी पर एनडीएमए द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं को भी कवर किया गया।



जलवायु परिवर्तन और समुद्र के स्तर में वृद्धि की बढ़ते प्रभाव में मालदीव अति संवेदनशील देशों में एक है।

प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि, भारत की क्षमता, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा ज्ञान मालदीव को आपदाओं के विविध प्रभावों को निपटने में सहयोग मिलेगा।

स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम और कृत्रिम अभ्यास, उप महाद्वीप के सुनामी की तैयारी; तथा आपदा के बाद मछुआरों की जान बचाने एवं आजीविका पुनःस्थापन करने पर चर्चा की गई।

पहाड़ी शहरों के लिए डीआरआर पर कार्यशाला

18–19 सितंबर, 2019 को एनडीएमए ने सिविकम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से गंगटोक में पहाड़ी शहरों के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण की चुनौतियों पर एक दो-दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला ने पहाड़ी शहरों में डीआरआर से संबंधित विभिन्न मामलों पर चर्चा करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाया। पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में तेजी से हो रही अनियोजित शहरीकरण, उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग, जलवायु परिवर्तनशीलता, निर्माण नियम, पूर्व-चेतावनी प्रणाली पर चर्चा की गई।





एक ‘अग्नि-सुरक्षित’ भारत के लिए

आग कहीं भी लग सकती है। यदि सावधानी से संभाला नहीं जाए, तो इससे जान-माल की भारी हानि हो सकती है। वास्तव में, तेजी से आर्थिक विकास, उभरती प्रौद्योगिकियां, मूल भूमि की कमी तथा जीवनशैली में परिवर्तन से आग संबंधी जोखिम देश में मानव जीवन के नुकसान का सबसे प्रमुख कारण बना हुआ है। हाल ही में, इस साल मई में सूरत, गुजरात में एक वाणिज्यिक परिसर में आग लगने से कम से कम 22 छात्रों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए। इस घटना ने देश में अग्नि सुरक्षा की तैयारी में सुधार की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला



विश्व स्तर पर, हाल ही में अमेजन बेसिन में लगी विनाशकारी वन अग्नि ने वर्षा वनों के विशाल इलाकों को नष्ट कर दिया और विश्व का ध्यान आकर्षित कर दिया। भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि (ग्लोबल वार्मिंग) और जलवायु परिवर्तन से वन अग्नि की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हुई है और यह भारत में भी चिंता का एक विषय रहा है।

जबकि भारत में एक संस्थागत तंत्र जगह पर है, दोनों केंद्र और राज्य स्तर पर और देश के अग्नि संबंधी जोखिम को कम करने के लिए विभिन्न उपायों को शुरू किया है, अग्नि दुर्घटनाएं कुछ अंतरालों को इंगित करती हैं; जिनके निवारण की आवश्यकता है। इसलिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने 15वां स्थापना दिवस का थीम 'अग्नि सुरक्षा' को चुना।

समारोह का उद्घाटन करते हुए, माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने पूर्व घटनाओं से सीखने और अग्नि जोखिम रोकथाम तथा प्रशमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम अभ्यासों को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने सरकारी अधिकारियों के क्षमता निर्माण, कृत्रिम अभ्यासों के माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा करना और नियमों तथा विनियमों को लागू करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

दिनभर के आयोजन के दौरान, अग्नि संबंधी जोखिमों और सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हुए तीन तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। पहला सत्र 'भारत में अग्नि जोखिम' देश में अग्नि सुरक्षा प्रबंधन पर उभरती समस्याओं पर केंद्रित रहा। सत्र में वन अग्नि से संबंधित मामलों तथा ग्लोबल वार्मिंग तथा जलवायु परिवर्तन के साथ उनके संबंध पर प्रस्तुतियां भी कीं। औद्योगिक आग के विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की गई।

दूसरे सत्र में विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई, जिससे, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में आग संबंधी घटनाओं की रोकथाम और कम करने के लिए किए जा सकें।

'संस्थागत चुनौतियों एवं समस्याओं' पर सत्र के दौरान, विकासात्मक प्रगति की तुलना में देश में अग्नि शमन सेवाओं का आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन की आवश्यकता से संबंधित पहलुओं पर चर्चा की गई।

डॉ. ने कहा "आग की तैयारी के लिए सभी संबंधित हितधारकों-राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक— एक साथ आने की आवश्यकता है",

वैशिक स्तर पर पहली बार, भारत ने दिव्यांजन समावेशी डीआरआर पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों का विमोचन किया प्रो० आशा हंस, शांता मेमोरियल रिहैबिलिटेशन सेंटर, ओडिशा*

27 सितंबर, 2019 को स्थापना दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने समावेशी और "किसी को पीछे नहीं छोड़ना", की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में दिव्यांगजन समावेशी डीआरआर पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों का विमोचन किया गया। यह प्रमुख कदम भारत सरकार की दिव्यांगजन सहित अपनी 2.68 करोड़ लोगों की चिंताओं को दूर करने की नीति का एक हिस्सा है। (इसके साथ भारत ऐसे दिशानिर्देशों को जारी करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश बना)। इन दिशानिर्देशों का विमोचन केंद्रीय राज्य गृहमंत्री, श्री जी. किशन रेड्डी द्वारा किए गए। दिशानिर्देशों के साथ, किसी आपदा से कैसे बचें पर सलाह के साथ भारतीय संकेतिक भाषा सहित जागरूकता सृजन पर वीडियो सीरीज भी लोगों को उपलब्ध कराया गया।

इन दिशानिर्देशों को विभिन्न हितधारकों, विशेषकर दिव्यांगन तथा संबद्ध संगठनों, दिव्यांगों पर कार्यरत सरकारी मंत्रालयों और राष्ट्रीय संस्थानों, के साथ व्यापक रूप से परामर्श करने के बाद तैयार किया गया था। मसौदा दिशानिर्देशों को एनडीएमए की वेबसाइट पर डाले गए थे और आम जनता से टिप्पणियां मांगी गईं।


ये दिशानिर्देश आपदा जोखिम न्यूनीकरण और "वापस बेहतर बनाएं" पर उचित समावेशी पहुंच और कार्यनीतियों को अपनाने की नए प्रतिमान परिवर्तन के अनुरूप हैं। यह आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2015–2030 के लिए सेंडार्ड फ्रेमवर्क पर स्थापित है, भारत जिसका एक हस्ताक्षरकर्ता है। एसएफडीआरआर समावेशी और सुगम्यता के महत्व पर भी जोर देता है तथा दिव्यांगजन और उनके संगठनों के लिए डीआरआर नीतियों की तैयारी और क्रियान्वयन में भागीदारी की आवश्यकता की पहचान करता है।

डीआरआर पर कार्यरत संगठनों को दिव्यांगजनों द्वारा सामना कर रहीं चुनौतियों को बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है।

ऐसे संगठनों के लिए ये दिशानिर्देश उपयोगी होंगे क्योंकि ये एक प्रासंगिक समझ प्रदान करते हैं, जो समावेशी के स्तर में सुधार कर सकते हैं। डीआरआर में तेजी से नई संचार प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा रहा है और ये आपदाओं के दौरान दिव्यांगजनों को सहायता करने की क्षमता रखते हैं।

इन दिशानिर्देशों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, अध्याय IV, जो केंद्र, राज्य सरकार गांव स्तर तक और अन्य दिव्यांग और आपदा हितधारकों द्वारा क्रियान्वयन के लिए आपदा से पहले, के दौरान और आपदा के बाद के लिए विशिष्ट कार्यनीतियों के लिए प्रदान करता है।

ये दिशानिर्देश अच्छे अभ्यासों का उदाहरण प्रदान करते हैं, जिसे भारत में, सफलतापूर्व अपनाया, दोहराया या बढ़ाया जा सकता है। यह दिव्यांगजनों को डीआरआर में दिव्यांगजन समावेशी के समाधान का एक हिस्सा बनाता है तथा समावेशी भारत को बढ़ावा देते हैं।



*प्रो० हंस ने दिव्यांग-समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने और लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।



पी.के. मिश्रा, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव। उन्होंने कहा कि, नियमों को लागू करने वालों को अग्नि रोकथाम, प्रशमन और मोचन के लिए अद्यतन तकनीकी एवं उपकरण को सम्मिलित करने के अलावा, विधि एवं तकनीकी प्रावधान, आग के प्रकार, संबंधित जोखिम, अग्नि रोकथाम, प्रशमन तथा मोचन तंत्रों पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

श्री जी.वी.वी. सरमा, सदस्य सचिव, एनडीएमए ने पिछले एक वर्ष के दौरान देश में आपदा जोखिमों को कम करने के लिए एनडीएमए द्वारा की गई गतिविधियों पर प्रकाश डाला, तथा भारत द्वारा डीआरआर के लिए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में किए गए प्रयासों को समेकित किया। श्री सरमा ने सभी राज्यों द्वारा हमारे अग्निशमन क्षमताओं के सुधार के लिए जागरूक और नियोजित प्रयासों की आवश्यकता को भी रेखांकित किया।

जब आपदा नियोजन की बात आती है, तो सबसे खराब स्थिति के लिए योजनान्वयन के बजाय जो अंतिम आपदा हमने सामना किया है, वह मानन्दड बन जाता है, डॉ. वी. घिरुपुगल तत्काली संयुक्त सचिव, एनडीएमए ने कहा। उन्होंने आगे अंतरालों और अनसुलझे मामलों को देखने की आवश्यकता पर जोर दिया।

इस अवसर पर एनडीएमए द्वारा देश में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए तैयार की गई कई राष्ट्रीय दिशानिर्देशों और रिपोर्टों का विमोचन भी किया गया, जिसमें दिव्यांग समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश शामिल हैं। जारी की गई अन्य प्रकाशनों में शामिल हैं— भूकंप और चक्रवात सुरक्षित घरों के लिए होम ऑनर्स गाइड, राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन कार्यनीति, आपदा प्रभावित घरों के लिए अस्थायी आश्रय, क्या करें और क्या न करें पर पॉकेट बुक, गाजा चक्रवात 2018 पर अध्ययन रिपोर्ट, गरम लहर (लू) सीमारेखा आकलन अध्ययन और भूकंप आपदा जोखिम सूचकांक।

प्रभावी होने के लिए, अग्नि जोखिम न्यूनीकरण को संस्थागत तंत्रों को मजबूत बनाने, समुदायों को जोखिम, जनजागरूकता में शामिल करना तथा तैयारियों की निरंतर स्थिति सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इस स्थापना दिवस पर किए गए विचार-विमर्श अग्नि जोखिम के लिए चुनौतियों को पूरा करने में और सामाजिक-आर्थिक संवेदनशीलताओं को कम करने के लिए लंबा समय तक चलेगा।



आपदा सहनशील अवसंरचना के लिए गठबंधन पर कमल किशोर से बातचीत



नई दिल्ली में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2016 पर एशियाई मंत्रालयीन सम्मेलन के दौरान अपने दस सूत्र एजेंडे को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत अन्य भागीदारी देशों और हितधारकों के साथ आपदा सहनशील अवसंरचना (सीडीआरआई)

(सीडीआरआई)के लिए वैशिक गठबंधन के निर्माण पर काम करेगा, ज्ञान विनियम और क्षमता विकास साझेदारी के रूप में परिकल्पित है।

वैशिक सीडीआरआई को प्रोत्साहन देने के लिए आपदा सहनशील अवसंरचना पर वर्ष 2018 और 2019 को क्रमशः नई दिल्ली में दो अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं। दोनों कार्यशालाओं में विश्व भर से भागीदारी देखा गया।

सभी प्रयासों की परिणति तब हुआ जब न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के जलवायु कार्य शिखर में 23 सितंबर 2019 को जब श्री मोदी जी ने आपदा सहनशील अवसंरचना के लिए गठबंधन (सीडीआरआई) शुरू करने की घोषणा की और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्यों को इसमें हिस्सा लेने के लिए आमत्रित किया।

आपदा संवाद ने श्री कमल किशोर, सदस्य, एनडीएमए से बातचीत की, जो इस गठबंधन की ओर जानकारी के लिए प्रचार कर रहा है। कुछ अंश :

प्रश्न. कृपया हमें सीडीआरआई के बारे में कुछ विस्तार से बताएं।

उत्तर. सीडीआरआई एक ज्ञान और क्षमता विकास मंच है, जहां विकासात्मक देशों को तकनीकी जानकारी तक पहुंचने में लाभ मिलेगा और विकसित देशों, जो अपने खुद के अवसंरचना के प्रतिस्थापन के चरण में हैं, को अपनाए जा रही नई पद्धतियों और पहुंच मार्गों से सीखेंगी।

विभिन्न हितधारक देशों के साथ-साथ बहुपक्षीय संगठनों जैसे विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम, अनुकूलन के लिए वैशिक आयोग ने सीडीआरआई के विचार का समर्थन किया और सीडीआरआई के हिस्से के रूप में नजदीकी से काम करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है।



प्रश्न. यह गठबंधन डीआरआर पर अन्य वैशिक पहलों से किस प्रकार भिन्न हैं?

उत्तर. सीडीआरआई पहली पहल है जो जलवायु-परिवर्तन, डीआरआर और अवसंरचना विकास के मिलन बिंदु में काम करता है। यह एक पहल है जो कई हितधारकों को दुनिया भर में अवसंरचना प्रणालियों के समुद्धानशील के निर्माण की ओर एक साथ लाएगा। कई वैशिक पहलें या तो दक्षिण-दक्षिण में सहकारिता या उत्तर से दक्षिण में प्रौद्योगिकी और जानकारी रूपांतरित करने में केंद्रित होता है। सीडीआरआई एक बहु-दिशात्मक पहल है, ताकि हर कोई हर किसी से सीख सकें और एक साथ रह सकें।

हम अवसंरचना को केवल परिसंपत्ति के रूप में नहीं लेते बल्कि एक व्यवस्था के रूप में जिसमें कोई भी देश अकेले काम नहीं कर सकता। यह इसलिए है क्योंकि किसी परस्पर संबद्ध दुनिया में, अवसंरचना प्रणाली विश्व स्तर पर जुड़े हुए हैं और नौपरिवहन उद्योग केवल सबसे कमजोर बंदरगाह की भाँति सहनशील है।

प्रश्न. विशेषज्ञ अवसंरचना वर्ग कौन से हैं जो गठबंधन का ध्यान केंद्रित करेंगे।

उत्तर. गठबंधन का उद्देश्य भौतिक, सामाजिक के साथ-साथ पर्यावरणीय अवसंरचना को देखना है। शुरुआत में, हम भौतिक अवसंरचना को प्राथमिकता देंगे क्योंकि यह वहां है जहां बहुत सारा निवेश हो रहा है और यह वह जगह है जहां हम बहुत सारे ज्ञान और क्षमता अंतरालों को देखते हैं। हम जिन चार बड़े क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं, में शामिल हैं— विद्युत, दूरसंचार, परिवहन और जल अवसंरचना, इसके अतिरिक्त हम आपदा नियंत्रण करने वाले अवसंरचना पर काम करेंगे, जिसका एक प्रमुख उद्देश्य, बांध, तटबंध, समुद्री दीवार आदि जैसे आपदाओं का नियंत्रक के रूपमें है।

प्रश्न. भारत के लिए गठबंधन क्यों जरूरी है?

उत्तर. सबसे पहले, यह हमें अत्यधिक ज्ञान से जुड़ने में मदद करेगा। हमें इस समय, अन्य कर्ताओं के साथ नया ज्ञान सहसृजित कर पाएंगे। उसी समय, इससे हमें हमारे देश में अवसंरचना विकास के माध्यम से सीखे जा रहे सबको साझा करने के लिए भी एक अवसर मिलेगा।

भविष्य के अवसंरचना विकास का एक बड़ा हिस्सा भारत और चीन में होने की संभावना है। परिणामस्वरूप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उस अर्थ में, हमारे पास उसे सही करने की और इन अवसंरचना प्रणालियों में जोखिम के विपरित बदलाव लाने का अवसर है। हम विश्व के बाकी हिस्सों के साथ कार्य कर सकते हैं तथा इतने लंबे समय में सीखे गए अनुभवों को साझा कर सकते हैं।

कुल मिलाकर, हम ज्ञान और क्षमता क्षेत्र में लाभांवित होंगे और अवसंरचना विकास की वैश्विक व्यवस्था में योगदान देने में सक्षम होंगा।

कृपया विस्तृत बातचीत के लिए एनडीएमए ब्लॉग, www.ndmablog.in देखें।

“भारत : बेहतर विश्व के लिए साझेदारी”



सितंबर के पहले सप्ताह में, भारतीय दूतावास, ब्रूसेल्स प्रदर्शनी और यूरोपीय संसद सदस्य, सुश्री नीना गिल ने आपदा जोखिम न्यूट्रीकरण की ओर भारत के योगदान पर यूरोपीय संसद में एक प्रदर्शनी की मेजबानी की। प्रदर्शनी में जान और आजीविका के नुकसान को कम करने की ओर डीआरआर के क्षेत्र में घरेलू स्तर पर, क्षेत्र के भीतर और उसे आगे भारत की प्रगति पर प्रकाश डाला। यह उन प्रमुख चुनौतियों को भी शामिल किया गया जिनको दूर करने की आवश्यकता है, जैसे किस प्रकार हम प्रगति पर निर्माण करें जिस पिछले वर्षों में गर्मी-संबंधित मृत्यु दर को कम करने के लिए अपनाया गया है।



गरम लहर से गर्मियों के महीने में दोनों भारत और यूरोपीय देशों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और इसलिए यह एक क्षेत्र है जहां भारत और यूरोपीय देश एक दूसरे से सीख सकते हैं।

प्रदर्शनी का एक मुख्य आकर्षण आपदा सहनशील अवसंरचना के लिए गठबंधन (सीडीआरआई) था—पहल, उभरती साझेदारी, थीम युक्त क्षेत्र जिससे दोनों विकास एवं विकासशील देशों जो अवसंरचना की सहनशीलता थीम के आस-पास एक साथ लाएगा।





कोहरा/वायु प्रदूषण से बचने के लिए क्या करें तथा क्या न करें

- घर के अंदर ही रहें : बाहर तभी निकलें जब पर्याप्त रोशनी तथा धूप निकली हो। बच्चे तथा खास तौर पर व्यक्ति जो दिल तथा फेफड़ों की बीमारियों से पीड़ित हैं, को जितना संभव हो, घर में ही रहने की सलाह दी जाती है।
- यदि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो तो नाक के फिल्टरों या वायु शोधकों (एयन प्लूरीफायर्स) का उपयोग करें। यह आपको कुछ समय के लिए राहत पहुंचा सकते हैं।
- विटामिन-सी, मैग्नीशियम और ओमेगा वसा अमलों से भरपूर फलों का नियमित रूप से सेवन करें; इससे आपकी प्रतिरोधक क्षमता (इस्पूनिटी) बढ़ेगी।
- शरीर से विषेले तत्वों को बाहर निकालने के लिए अधिक मात्रा में पानी पिएं।
- मुख्य सड़कों का उपयोग न करें जब आप मुख्य सड़कों से अपेक्षाकृत छोटी लेनों में चल रहे होते हैं तो प्रदूषण की मात्रा में भारी कमी आती है।
- थकान वाली गतिविधियों से बचें जो सूक्ष्म कणों की बाहरी मात्रा के शरीर में जाने का कारण बनती है।
- यदि आपको व्यायाम ही करना है तो घर के अंदर करें, खासतौर पर शाम के वक्त।
- भौर—सवैरे या ज वायु प्रदूषण का स्तर काफी अधिक हो तो कहीं बाहर जाने से बचें या बाहरी गतिविधियों में शामिल न हों।
- घरों तथा कार्यालयों में कुछ वायु शोधक पौधे रखें जैसे तुलसी, मनी प्लांट आदि।
- परिवहन के वैकल्पिक साधनों का इस्तेमाल करने का प्रयास करें अपने दोस्तों तथा साथी यात्रियों के साथ कार की पुलिंग करें।
- धूम्रपान करें।
- कूड़ा न जलाएं और अपने पड़ोस में भी किसी को ऐसा न करने दें।
- सांस लेने में परेशानी, गंभीर खांसी या किसी गंभीर लक्षण के नजर आने पर किसी डॉक्टर की सलाह लें या निकटतम अस्पताल के आपातकालीन विभाग में जाएं/संपर्क करें।



पता :

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए)

ए-1, सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली-110029

दूरभाष संख्या

: +91-11-26701700

नियंत्रण कक्ष

: +91-11-26701728

हेल्पलाइन संख्या

: 011-1078

फैक्स :

: +91-11-26701729

